प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायण भाई पुत्र कानजी प्रजापत 15,नूतन सोसायटी पालडी अहमदाबाद 380007		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रानीवाडा
प्रकरण अपील		35/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00138

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

18.12.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 30.12.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर
08.01.2020	अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित ।सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)रानीवाडा का जवाब प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)रानीवाडा ने बिन्दुवार जवाब में व्यक्त किया है। बिन्दु संख्या 1-यह है कि मु.न.12/2017 की पालना में दिनांक 05.05.2018 को मौका फर्द पत्थरगढी खसरा नंबर 964 के मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 961/1605 की चारो भुजाओ के राजस्व नक्शा एवं रेकर्ड अनुसार मौका फर्द बिन्दु कायम कर पत्थरगढी करवाई गयी थी।उस समय भू.अ.निरीक्षक जाखडी/पटवारी हल्का जोडवास, पटवारी दईपुर उपस्थिति मौतविरान व खातेदार शिकायतकर्ता नारायण भाई प्रजापत स्वंय हाजिर थे जिसकी मौका फर्द की फोटो प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या 2- यह है कि अब शिकायतकर्ता मौके पर पत्थरगढी पुनःकरवाना चाहता है व चारो भुजाओं का माप चाहता है।इसके लिये तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व शिकायतकर्ता से वार्ता हुई।जिसमें उक्त सीमाकन हेतु आवेदन किये जाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मौके पर फसल खडी है।तथा आदेश कमांक 94 दिनांक 06.12.2019 द्वारा सीमाकंन आदेश जारी हुआ है।जिसमें खडी फसल कटने के बाद सीमाकंन हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया है।सीमाकंन हेतु दिनांक 27.12.2019 को दोपहर 1.12 बजे जरिये मोबाईल नंबर 9909700370 से पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक जाखडी द्वारा शिकायतकर्ता से सीमाकंन समय में मौके पर उपस्थित रहने हेतु सम्पर्क किया गया।जिसमें प्रार्थी ने स्वंय को धार्मिक यात्रा पर होना बताया।जिसकी अनुपस्थिति में सीमाकंन किया जाना संभंव नही हुआ प्रार्थी से पुनःसम्पर्क होने पर सीमाकंन कर दिया जावेगा। बिन्दु संख्या 3- यह है कि दिनांक 05.05.2018 को धानोल पटवारी व जोडवास पटवारी मौके पर उपस्थित थे जो मौका फर्द से स्पष्ट है।अतःउक्त अपील निरस्त करावे।उक्त जबाव की प्रति तहसीलदार रानीवाडा के पत्रांक/स.का.अ./2020/0- दिनांक 08.01.2020 के जरिये अपीलांट नारायण भाई को भिजवाया जाना बताया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जबाव का अध्ययन भी किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में चाही गई बिन्दुबार सूचना के बिन्दु संख्या 1 अनुसार मौका फर्द और नजरी नक्शा बनाना जरूरी होने से प्रतिलिपि चाही है।बिन्दु संख्या 2 अनुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2018 के विषय में किस कारण आज दिनांक तक कार्यवाही रोक दी गई है की सूचना चाही है। बिन्दु संख्या 3 अनुसार मौका फर्द और सीमाकंन कार्यवाही के समय टीम कर्मचारीगण में पटवारी दईपुर चादनी देवी मौके पर हाजिर नही थी उसने कब सिगनेचर किया उसकी सूचना चाही है।इस प्रकार अपील में वर्णित बिन्दुवार चाही गई सूचना रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपीलांट को उपलब्ध नही करवाना पाया जाता है।सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। इस संबध में तहसीलदार रानीवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना से संबंधित जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। वह सूचना अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में निःशुल्क उपलब्ध करावे।

	अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	